अध्याय–9 (मैन्युअल –8)

भू–अर्जन प्रकोष्ठ

निर्णय लेने की प्रक्रिया–

निगम में भू–अर्जन कक्ष द्वारा भू–अर्जन/भू–हस्तांतरण का प्रस्ताव तैयार किया जाता है । इसमें निर्णय शासन स्तर से होता है ।

औद्योगिक संवर्धन प्रकोष्ठ

निर्णय लेने की प्रक्रिया–

निगम के सामान्य अनुदेश के तहत निर्णय लिया जाता है ।

भू–आबटन प्रकोष्ठ

निर्णय लेने की प्रकिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.भू–आबंटन प्रकोष्ठ में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

भूमि आबंटन प्रकोष्ठ से संबंधित किसी विषय पर प्रबंध संचालक/कार्यपालक संचालक द्वारा शासन/संचालक–मण्डल द्वारा जारी नीति निर्देश/नियम के तहत निर्णय लिया जाता है ।

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रिया क्या है? अथवा निर्णय लेने के लिए किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है ?

किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.के संचालक–मण्डल के निर्णय अथवा शासन स्तर पर दिए गए निर्देश अनुसार निर्णय लिया जाता है ।

9.3 लिए गए निर्णय को जनता तक पहॅुचाने के लिए क्या व्यवस्था है ?

अ. संबंधित आवेदक को डाक द्वारा
ब. संबंधित आवेदक को फैक्स द्वारा

9.4 विभिन्न स्तर पर किन–किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है ?

महाप्रबंधक, भू–आबंटन प्रकोष्ठ द्वारा अपने अभिमत/अनुशंसा सहित प्रकरण कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाता है ।

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी ।

संबंधित प्रकरण की महत्ता अनुसार कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक/अध्यक्ष

9.6 <u>मुख्य विषय, जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत हैः</u>

क्रम संख्या	
विषय (जिसकेसंबंध में निर्णय लिया जाना है)	1. भू–आबंटन के सम्पूर्ण अधिकार – प्रबंध संचालक 2. 10 एकड़ से कम भू–आबंटन – कार्यपालक पर निर्णय संचालक
दिशा निर्देश (यदि हो तो)	प्रचलित नियम/संचालक–मण्डल द्वारा
निर्णय लेने की प्रक्रिया	भू–आबंटन नियमों के अंतर्गत
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	1. प्रबंध संचालक 2. कार्यपालक संचालक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	एलआईसी बिल्डिंग, व्यवसायिक परिसर, पंडरी,, रायपुर दूरभाष क्रमांक 0771–2583789–90 फैक्स क्रमांक 0771–2583794 ई–मेल csidc@ csidcindia. Com, csidc-raipur@yahoo.com
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें	प्रबंध संचालक/अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पो.लि.को लिखित आवेदन से अपील की जा सकेगी । **टीपः** प्रत्येक अपील अंग्रेजी भाषा या हिन्दी भाषा में प्रस्तुत की जा सकती है । अपील के साथ मूल आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो या उसकी प्रमाणित प्रति तथा अन्य तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जावे ।

तकनीकी प्रकोष्ठ

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने अधीनस्थ संबंधित क्षेत्र के अनियमितताओं से टीप लेकर प्राप्त टीप में अपनी अनुशंसा देते हुए कार्यपालक संचालक को निर्णय हेतु अग्रेषित करते हैं । अधिकारियों द्वारा संचालक मण्डल से प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निर्णय लिया जाता है ।

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय हेतु प्रबंध संचालक द्वारा प्रकरण को संचालक मण्डल में रखा जाता है । ऐसे प्रकरण पर निर्णय संचालक मण्डल द्वारा लिया जाता है ।

9.3 लिए गए निर्णय से जनता/उपभोक्ता/उद्यमी को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है।

9.4 कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता स्तर के अधिकारियों की संतुष्टि पर प्रकरण निर्णय हेतु उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है ।

9.5 अंतिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकारित अधिकारी प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट इण्ड. डेव्ह. कार्पो.लि.है ।

9.6 मुख्य विषय जिस पब्लिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत है ।

क्र.सं		
1.	विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	.कार्य का निविदा आमंत्रण की कार्यवाही
2.	दिशा निर्देश यदि कोई हो तो	कार्यविभाग मैनुअल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।
3.	निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्धारित तिथि में निविदा प्राप्त होने के पश्चात गठित समिति द्वारा निविदा खोली जाती है तत्पश्चात समिति द्वारा कार्यवृत्त तैयार कर निविदा समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाती है ।
4.	निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	निविदा समिति में कार्यपालन अभियंता, महाप्रबंधक लेखा तथा कार्यपालक संचालक शामिल रहते हैं ।
5.	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	(1)कार्यपालन अभियंता प्रशासनिक भवन औ.क्षेत्र उरला 2323534 (2)महाप्रबंधक छ.ग.स्टेट.इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि. जीवन बीमा निगम व्यवसायिक परिसर पंडरी रायपुर 0771–2583789–90 (3)कार्यपालक संचालक छ.ग.स्टेट इण्ड.डे. कार्पो.लि.जीवन बीमा निगम व्यवसायिक परिसर पंडरी रायपुर 0771–2583789–90
6.	निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें	निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रबंध संचालक को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

वित्त प्रकोष्ठ

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण ने क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है	आवेदन पत्र को उचित माध्यम से आदेशार्थ हेतु प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता
9.2	किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस किस स्तरों पर विचार किया जाता है	किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने प्रबंध संचालक, विभिन्न स्वीकृत कमेटियों एवं बोर्ड के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जाता है
9.3	लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है	लिखित सूचना/सूचना फलक माध्यम से
9.4	विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है	उप महाप्रबंधक
9.5	अंतिम निर्णय के लिए प्राधिकृत अधिकारी	उप महाप्रबंधक

विपणन प्रकोष्ठ

निर्णय लेने की प्रक्रिया–

दर निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है :–

1. वस्तु विषेष की निविदा प्राप्त उपरान्त संबंधित पी.एस. प्राप्त निविदाओं का परीक्षण कर उसे टेण्डर परचेज कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करता है ।

2. टेण्डर परचेज कमेटी के द्वारा दरों की सुसंगता निर्धारित की जाती है। पूर्व में हुए क्रय को आधार बनाकर लास्ट परचेज प्राइज के आंकलन उपरान्त निविदा में प्राप्त दरों की तुलना की जाती है ।

3. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर पात्र निविदाकारों को ऐसी दरों पर काउंटर आफर दिया जाता है जो कि विभाग को स्वीकार हो ।

4. निविदाकार द्वारा काउंटर आफर की स्वीकृति उपरान्त दरों की अंतिम स्वीकृति हेतु प्रबंध संचालक को प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है । प्रबंध संचालक द्वारा दरें अनुमोदित करने के उपरान्त पात्र इकाईयों को रेट कांट्रेक्ट जारी किया जाता है ।

स्थापना प्रकोष्ठ

निर्णय लेने की प्रक्रिया

स्थापना प्रभाग के द्वारा अधिकारियों /कर्मचारियों सेवा संबंधी प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते है जिसपर /कार्यपालक संचालक / प्रबंध संचालक /संचालक मण्डल द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुसार निर्णय लिये जाते है ।

लेखा एवं वित्त प्रकोष्ठ

1. **निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –**

   लेखा शाखा में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के भुगतानों संबंधी निर्णय लिए जाते हैं । इस हेतु संबंधित प्रकरण/देयकों का निगम में प्रचलित विभिन्न नियमों /निर्देशों के तहत् परीक्षण कर उन्हें निर्णय /स्वीकृति हेतु कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाता है । स्वीकृति प्रश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जाती है ।

2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने हेतु निर्धारित नियम/प्रक्रिया एवं निर्णय लेने के लिए किन–किन स्तरों पर विचार किया जाता है ।

   विशेष प्रकरणों पर निर्णय हेतु प्रकरण निर्देशानुसार कार्यपालक संचालक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है । एवं अंतिम निर्णय हेतु प्रबंध संचालक/संचालक मंडल को प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है । संचालक मंडल द्वारा चाहे जाने पर प्रकरण शासन को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

3. निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था –

   सूचना कक्ष द्वारा बनाया जाना है ।

4. विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुती, निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है –
   लेखा कक्ष संबंधी कार्यों के लिए निर्णय हेतु सहा.प्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (लेखा एवं वित्त), कार्यपालक संचालक व प्रबंध संचालक स्तर तक संस्तुती प्राप्त की जाती है । तकनीकी कक्ष द्वारा सम्पादित किए जाने वाले निर्माण व विकास कार्यों के संबंध में भुगतान, समयावृद्धि आदि निणयों हेतु सहा. अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता की संस्तुती भी ली जाती है ।

5. अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी –

प्रकरण की प्रकृति एवं दिए गए अधिकारों की सीमा के अनुसार कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक/संचालक मंडल.